

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 1361-दो/04

जिला - सी.सी.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा अवधि	पदाधिकारी का अभिलेखीकरण अथवा अन्य
------------------	--------------------	-----------------------------------



13/11/2022

प्रकरण का अवलोकन किंग यह निगम मध्य प्रदेश हासीलदारी सी.सी. द्वारा प्र0क्र0 15/अ-70/2022-11 के तहत आदेश क्र. 1-1-12 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। आलोच्य अतरिक्त प्रदेश द्वारा मध्य प्रदेश हासीलदार ने आवेदक द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 6 नियम 17 के तहत प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किया गया है।

2. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता व बिंदु न दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख को तथा आलोच्य आदेश का परिीक्षण किया। यह प्रकरण सीमांकन के संबंध में है। आवेदक द्वारा आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया और स.ग.ध.न. के तहत उक्त समय पर से विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरान्त यह पाया कि आवेदन देने के पूर्व उनके न्यायालय द्वारा आदेश क्र. 6-12 के माध्यम से सीमांकन की कार्यवाही की पूर्ति कर दी गई है। ऐसी स्थिति में उन्होंने आवेदन औचित्यहीन मानकर निरस्त किया है। विचारण न्यायालय का यह आदेश है कि प्रकरण को परिीक्षण की देखते हुए अपर स्थान पर संवेत और न्यायिक होने से पूर्ति योग्य है। आदेश में ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। जैसा कारण उसमें हस्तक्षेप आवश्यक हो। परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। उभयपक्ष सूचित हो एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वपिन हों।

(एम.के. सिंह)
सदस्य

राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर



समक्ष सदस्य महोदय, मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प भोपाल म.प्र.

निगरानी क्र. /2014 N 13 1111

राजेश राठौर आत्मज गौरीशंकर, आयु 40 वर्ष,
कृषक ग्राम शेरपुर, निवासी गंज सीहोर (म.प्र.).....निगरानीकर्ता

- वि रु द्ध -

1. महेश कुमार राठौर आ. गौरीशंकर राठौर,
कृषक ग्राम शेरपुर, निवासी गंज, सीहोर,
तहसील सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र.)
2. दीनदयाल (मृत) रेस्पॉडेंट्स